



मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा

32, सिविल लाइन्स, मथुरा

उत्तर प्रदेश योजना और विकास अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत स्वीकृति

ग्रुप हाउसिंग (बृज गंगा रेजिडेंसी) ^{रंगोक्षित} फाइल संख्या..... 466/म-1/12

श्री/श्रीमती/कुमारी जगतपाल सिंह पुंन सुत्र/पत्नी श्री सुरेपाल सिंह
निवासी भुरखारा आम श्री राजय सिरोदिया श्री शैलान सिंह
स्थल खसरा नं० 55, भोजा - सिविल लाइन्स, मथुरा ।

जिन्होंने प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत निर्माण कार्य करने के लिए प्रार्थना-पत्र दिनांक 06/09/12 को दिया । को निर्माण कार्य करने की अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों के साथ आज दिनांक 09.11.12 से 02.11.2017 को दी जाती है ।

- (1) निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार किया जायेगा ।
- (2) निर्माणित कार्य का कोई भी भाग सरकार अथवा नगर पालिका की भूमि का अतिक्रमण नहीं करेगा और न वह उन पर प्रोजेक्ट करेगा ।
- (3) निर्माण की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में अनुज्ञा प्राप्तकर्ता इस विकास प्राधिकरण को निर्माण की प्रगति के बारे में निम्नलिखित सूचना देगा --
(क) निर्माण प्रारम्भ करने की तिथि
(ख) नींव भरे जाने के पश्चात् तथा दीवार उठने से पूर्व
(ग) स्वीकृत के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि, गृह प्रवेश के पूर्व
- (4) दी गई अनुज्ञा केवल पाँच वर्ष के लिए मान्य होगी, जिसके भीतर इमारत पूर्ण रूप से बनाने का प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा और ऐसा न होने पर यदि अनुज्ञा प्राप्तकर्ता उचित समय के भीतर प्रार्थना करें तो स्वीकृति एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी जाएगी परन्तु वह बढ़ाव उक्त समय के भीतर लिए लागू नियमों के अधीन होगा । स्वीकृति अवधि के पश्चात् किया गया निर्माण अवैध समझा जाएगा ।
- (5) कोई भी नई बनाई गई फिर से बनाई गई या रद्दो बदल की गई इमारत के पूर्ण भाग में उक्त समय तक रहने की आज्ञा नहीं होगी तब तक ऐसा करने के लिए नगर पालिका, मथुरा सर्टीफिकेट न प्रस्तुत किया जाये जिसमें यह लिखा हो कि इमारत हर प्रकार के नियमों के अनुकूल है तथा उपबन्धों की पूर्ति करती है और रहने योग्य है ।
- (6) उपर्युक्त निर्माण इण्डियन इलेक्ट्रिकल कोड 1957 के नियमों 79 तथा 30 के अनुसार किया जायेगा और उस सम्बन्ध में पूरी जिम्मेदारी निर्माणकर्ता की होगी ।
- (7) रैन वाटर हावैस्टिंग का प्राविधान करना होगा ।
- (8) स्थल पर ^{मानक अनुसार} वृक्ष, कदम्ब, अशोक आदि के लगाने होंगे
- (9) मानचित्र पर ^{मानक अनुसार} चर्खा सड़क शर्त मान्य होगी,

उपाध्यक्ष

कार्यालय: मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण 32, सिविल लाइन्स, मथुरा ।

पत्रांक : 466- MY/MO/वि0प्रा0/2017-18

दिनांक : 23/02/2018

श्री संजय सिसौदिया (पावर आफ अटोनी होल्डर)
मै0 बृजगंगा रेजीडेन्सी ग्रुप हाउसिंग,
खसरा नं0-55 मौजा सिविल लाइन,
तहसील व जिला मथुरा ।

विषय: प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र संख्या-466/एम/11-12 के नवीनीकरण के सम्बन्ध में ।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.10.17 के क्रम में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार मानचित्र शुल्क लेकर तीन वर्ष (08.11.2017 से 07.11.2020) तक समयवृद्धि प्रदान की जाती है । मानचित्र की अनुबन्ध की सभी शर्तें यथावत रहेंगी ।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार ।


23/2/18
(सचिव)